अंचल अधिकारी .... का कार्यालय

अभिलेख वाद संख्या– ....59/16-मनातू

वाद का प्रकार– बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत् जांच एवं कार्रवाई से संबंधित।

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक–2074/रा0, दिनांक–13.05.2016 सहपठित–श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू–अर्जन–सह–विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या–3–खा0म0निति–119/85/2308/रा0, दिनांक–03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय, परिपत्र संख्या–914/रा0, दिनांक–09.12.1998 में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जामबंदियों की जांच प्रारंभ की गयी। जांच के क्रम में हल्का राजस्व कर्मचारी एवं अ0नि0द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा–..डुमरी........, थाना– ...400.... खाता संख्या–...2........ प्लॉट संख्या– 215, ...,रकबा– ...2.00.... एकड़ की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी–II के जिल्द संख्या– ....,के पृष्ठ संख्या–..54/II........ पर जमाबंदी रैयत .... के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा जांचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जामबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरिक्षक द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/ अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/ अवैध कोडकर बंदोबस्ती के अधार पर/ अवैध लगान निर्धारण के अधार पर/ सादा हुकुमनामा के आधार पर, कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950, की धारा 4(h) के तहत् जांच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण–पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत् सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।

अभिलेख दिनांक–7/09/16...... को उपस्थापित करें।

लेखापित एवं संशोधित

अंचल अधिकारी

अंचल अधिकारी

मनातू

E:\Sec 5 New\Awadh Jamabandi.docx

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :– रामदेव यादव, S/O सकेत यादव, सा0 – कुमरी

2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :–

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
कुमरी	402	2	215/7	2.00

3. जमाबंदी पंजी–II के जिल्द संख्या............... पृष्ठ सं0–54/II पर कायम है –

4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है – 2002-03

5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :– [illegible]

6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :– [illegible]

7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित हैं तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :– नहीं

8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती – बन्दोबस्ती केस नं. 23/2002-03

9. संदेहास्पद जमाबंदी की जाँच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू–हस्तांतरण पंजी)

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष – –

क्र0 संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
01	4963826	03/05/2012	—

23/10/016
[illegible]
[illegible]
रा0 उ0 नि0
[illegible]

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
2	3
अभी लेख - उपस्थापित किया गया। प्रतिवादी-पक्ष-अनुपस्थित। अतः पुनः डिक्री-नोटिस-निर्गत करें, जिसकी तिथि 21.10.06 को रखें।	

वाद सं. 59/2016-17

अभिलेख उपस्थापित। यह मामला वर्ष 2016 से लंबित है, माननीय आयुक्त महोदय की बैठक में निर्देश दिया गया है कि पुनः विस्तृत जाँच कर कार्यवाही करें। तदनुसार श्रीमान राजस्व उप निरीक्षक को आदेश दिया जाता है कि आप हल्का के संबंधित संदिग्ध जमाबंदी के संबंध में विस्तृत जाँच प्रतिवेदन समर्पित करें कि मामला संदेहास्पद जमाबंदी का बनता है अथवा नहीं।

[illegible] 10.3.22

अपर समाहर्ता
[illegible]

21.03.2022 — अभिलेख उपस्थापित। पत्रांक 11 के माध्यम से राजस्व उप निरीक्षक के द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिया गया है जो संचिका में संलग्न है। इनके द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वादग्रस्त भूमि से संबंधित जमाबंदी रद्द करने का मामला उपायुक्त [illegible] के न्यायालय वाद सं. 13/2021-22 [illegible] कौर बनाम [illegible] के नाम से मामला चल रहा है। जिस संबंध में इस कार्यालय द्वारा जाँच प्रतिवेदन भेजा गया है। जब मामला वरीय न्यायालय में लंबित है तो इस स्तर से इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जा सकती है।

अतः राजस्व उप निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि मामला वरीय न्यायालय में लंबित है। इस स्तर से इस वाद की कार्यवाही बंद की जाती है।

संचिका [illegible]।

[illegible] 21.3.22

अपर समाहर्ता
[illegible]

अपर समाहर्ता
[illegible]

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी
मनातू, पलामू

विषय :- अवैध जमाबंदी अभिलेख संख्या : 57/16-17 एवं अभिलेख सं० 64/16-17 का जाँच प्रतिवेदन।

महाशय,

आदेशानुसार उपरोक्त अवैध जमाबंदी से संबंधित मामले का जाँच किया। उपरोक्त सभी मामलों से संबंधित विविध वाद सं० :- 13/2021-22 न्यायालय उपायुक्त पलामू में यही मामला चल रहा है। उक्त विविध वाद में अंचल स्तर से जाँच प्रतिवेदन भी भेजा गया है।

अतः जब वरीय न्यायालय में यही मामला चल रहा है तो अंचल स्तर पर इस वाद की सुनवाई समाप्त की जा सकती है।

प्रतिवेदन अग्रेतर कार्रवाई हेतु सादर समर्पित।

16/03/2022
रा०उ०नि०
हल्का-

Digitally signed by SHEKHER VERMA
Date: 2023.01.25 17:29:23 +05:30
Location: 192.168.61.97